

भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, 'नारकोटिक्स हाऊस' राजस्व कालोनी नीमच (म.प्र.) 458441	 शुभ्रं उभे	Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue Central Bureau of Narcotics O/o the Deputy Narcotics Commissioner, "Narcotics House", Neemuch (M.P.) 458 441
EPABX-07423-223030 Gram-Afeem FAX- 07423-220099/220077 e-mail :dnc-neemuch@cbn.nic.in		Date: -02-2017
F.No.I(22)8/Adm/CCTV/2017		

:: निविदा ::

इस कार्यालय के अधीनस्थ जिला अफीम अधिकारी कार्यालय के विभिन्न तौल केन्द्रों जैसे नीमच, मन्दसौर, जावरा, गरोट इत्यादि पर माह अप्रैल 2016 के प्रथम सप्ताह से लगभग 20 दिनों या कम के लिए अफीम तौल का कार्य किया जायेगा, जिसमें होने वाली विभिन्न गतिविधियों को जन साधारण को दर्शाने के लिए तथा सर्वर नेटवर्क रिकार्डिंग एवं मुख्यालयों पर सीधे प्रसारण हेतु क्यूब कैमरो को उपरोक्त विभिन्न तौल केन्द्रों पर लगाया जाना है। प्रत्येक तौल केन्द्र पर 6 क्यूब कैमरे लगाये जायेंगे, जिनकी संख्या घटाई व बढ़ाई भी जा सकती है। लगाए जाने वाले क्यूब कैमरो का विवरण, निम्नलिखित विशिष्टी से कम नहीं होनी चाहिए।


क्र. सं.	नाम उपकरण	Specifications
1	Cube Camera	Picture HD quality (4 Mega Pixel), VGA Lences Min. Image resolution 640x480 Frame rate 50 Hz:25 fps (640x480), 60 Hz:30 fps (640x480) Shutter time 1/25S-1/100,000s, with audio output, Wi Fi enable
2	Server box	Minimum 8 video & audio input network enable, Wi Fi, Storage capacity for atleast 1 month
The above camera & the server box must have U-L Certification i.e. Electrical device under electrical business equipment tested & passed by approved laboratory		

नियम एवं शर्तें

- उपरोक्त क्यूब कैमरों को माह अप्रैल में, विभिन्न तौल केन्द्रों पर संबंधित जिला अफीम अधिकारी के निर्देशानुसार, निविदादाता द्वारा स्थापित करना होगा। निविदादाता को कैमरों एवं सर्वर बाक्स सहित इनको स्थापित करने में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरण एवं संसाधन स्वयं उपलब्ध कराने होंगे, किसी भी प्रकार का कोई उपकरण एवं संसाधन विभाग द्वारा देय नहीं होगा, ना ही इसके लिए अलग से कोई चार्ज देय होगा। उक्त कैमरों को लगातार 24 घण्टे चालू रखने एवं रिकार्डिंग हेतु आवश्यक सहायक/सहायकों, जिन्हें इस संबंध में पूर्ण जानकारी हो, निविदादाता को लगातार अफीम तौल केन्द्रों पर उपलब्ध कराने होंगे। समस्त कैमरों को तौल केन्द्र पर लगाने (Installation), तौल के दौरान समस्त रखरखाव (Maintenance) नियमित चलाने, रिकार्डिंग एवं लाईव प्रसारण की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी।
- निविदा प्रति कैमरा प्रतिदिन मय सर्वर बाक्स एवं सभी उपकरण संसाधनों को सम्मिलित करते हुये देनी होगी, जिस पर "अफीम तौल कार्य हेतु क्यूब कैमरों की निविदा" अंकित होना चाहिए। किसी भी प्रकार के कर (tax) आदि का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
- सभी केन्द्र पर लगाये गये कैमरों द्वारा सीधा प्रसारण मुख्यालयों जैसे नीमच, ग्वालियर आदि पर एच.डी. क्वालिटी होना आवश्यक है।
- सीधा प्रसारण की रिकार्डिंग सुविधा मुख्यालयों पर भी उपलब्ध करवानी होगी।
- लिफाफा बन्द निविदा दिनांक 02.03.2017 को 13:00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। निविदा दिनांक 02.03.2017 को 16:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।


निरन्तर.....2.....

6. निविदादाताओं को प्रति निविदा के हिसाब से धरोहर राशि रु. 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र का ड्राफ्ट/नगद जो अधीक्षक कार्यपालक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नीमच के नाम देय होगा, निविदा के साथ जमा कराना होगा।
7. निविदादाता को दैनिक रूप से रिकार्डिंग की ऑडिया एवं विडियों सी.डी./डी.वी.डी. जो विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी, तैयार कर संबंधित जिला अफीम अधिकारी को देनी होगी।
8. यदि कोई भी कैमरा खराब/बंद होता है तो उसे तुरन्त चलाना/बदलना होगा।
9. फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किये जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/कटौती की जा सकती है एवं धरोहर राशि भी जप्त की जा सकती है।
10. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही नीमच न्यायालय के अधीन होगी।
11. सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा। किसी भी निविदा/सभी निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने अथवा नई निविदा आमंत्रित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।
12. यह पत्र श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त महोदय के आदेशानुसार जारी किया जा रहा है।


22.02.2017
सहायक नारकोटिक्स आयुक्त,
नीमच (म.प्र.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को इस विभाग की वेबसाईट www.cbn.nic.in पर देने का श्रम करें।
2. जिला अफीम अधिकारी, नीमच प्रथम/द्वितीय, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय, गरोट खण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि आप आपके इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मों को सूचित करें।


22.02.2017
अधीक्षक (कार्य.)
नीमच (म.प्र.)